

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण




अर्जूनराम वगैरह

बनाम

मुकदमा नं. 111 / 2019

प्रार्थी / वादी  
शान्तिदेवी

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
3.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा को जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। पत्रावली वर्तमान में अप्रार्थीगण की तलबी स्तर पर लम्बित चल रही है तथा वकील प्रार्थी को प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सीपीसी प्रावधानुसार भी अवसर दिये गये है। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र जरिये विड्रॉल खारिज किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	<p> </p>